

## प्रारंभिक परीक्षा

### ज्योतिराव फुले: भारत की संवैधानिक कल्पना के अग्रणी

#### संदर्भ

जैसे ही महात्मा ज्योतिराव फुले का द्विशताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, उनकी विरासत को न केवल समाज सुधार के रूप में, बल्कि एक मौलिक "संवैधानिक परियोजना" के रूप में देखा जा रहा है, जिसने समानता, गरिमा और शक्ति के पुनर्वितरण के आधार पर भारतीय समाज की पुनर्कल्पना की।

#### पृष्ठभूमि

- ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्य किया, और वे महिला सशक्तिकरण तथा बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।
- 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के कटगुण में जन्मे ज्योतिराव गोविंदराव फुले माली (बागवान) समुदाय से थे, जिसे पारंपरिक वर्ण पदानुक्रम में शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- उन्हें 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

#### सामाजिक सुधार में योगदान

- **महिला शिक्षा के अग्रदूत:** यह स्वीकार करते हुए कि "शिक्षा के अभाव से बुद्धि का नाश होता है," फुले ने 1848 में पुणे के भिड़े वाडा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला।
  - उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, जिससे वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं।
- **अस्पृश्यता का उन्मूलन:** 19वीं शताब्दी के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, उन्होंने 1868 में अपने घर के पानी के टैंक को "अछूतों" के लिए खोल दिया, जिससे उन अनुष्ठानिक शुद्धता कानूनों को चुनौती मिली जिन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बुनियादी संसाधनों तक पहुंच से वंचित कर दिया था।
- **सत्यशोधक समाज (1873):** उन्होंने शूद्रों, अति-शूद्रों और दलितों को एक मंच प्रदान करने के लिए "सत्य की खोज करने वाले समाज" की स्थापना की।
  - इस समाज ने तर्कसंगत सोच पर ध्यान केंद्रित किया और धार्मिक समारोहों में पुरोहित मध्यस्थों की आवश्यकता को खारिज कर दिया।
- **विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह:** वे विधवा पुनर्विवाह के मुखर समर्थक थे और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए गर्भवती विधवाओं के लिए एक गृह (बालहत्या प्रतिबंधक गृह) की स्थापना की।

#### प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ

- **गुलामगिरी (Slavery, 1873):** उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति, जो संवाद के रूप में लिखी गई है। उन्होंने इसे गुलामी को खत्म करने के अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया, जिसमें उन्होंने अश्वेत अमेरिकियों और भारत की उत्पीड़ित जातियों की दुर्दशा के बीच समानता दर्शाई।
- **शेत्कार्याचा असुद (The Cultivator's Whipcord, 1883):** नौकरशाही और पुरोहित वर्ग के गठबंधन द्वारा निरक्षर किसानों के शोषण की एक तीखी आलोचना।
- **सार्वजनिक सत्य धर्म (Universal Religion of Truth):** मरणोपरान्त प्रकाशित इस पुस्तक में उनके एक ऐसे विश्व के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया जहाँ सभी मनुष्य एक ही "निर्माता" के अधीन, जन्म या लिंग की परवाह किए बिना समान हैं।

#### एक संवैधानिक परियोजना के रूप में फुले का विचार

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने से बहुत पहले, फुले का काम एक "संवैधानिक परियोजना" के रूप में कार्य करता था, जो भारत में शक्ति और अधिकारों की एक संरचनात्मक पुनर्कल्पना थी।

- **नैसर्गिक अधिकारों की वैचारिक नींव:** थॉमस पेन की 'राइट्स ऑफ मैन' (1847) से प्रभावित होकर, फुले ने संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि "सामान्य सुख" सुनिश्चित करने और प्रत्येक व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने वाले ढांचे के रूप में देखा।
- **सार्वभौमिक अधिकार और संस्थागत प्रयास:** वे बयानबाजी से आगे बढ़कर उत्पीड़न के संरचनात्मक समाधान खोजने की ओर बढ़े, जिसमें महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना और "अछूत" माने जाने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक कुएं खोलना शामिल था।
- **परस्पर सुदृढ़ करने वाले अन्यायों का सिद्धांत:** फुले उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक शोषण और राज्य की उदासीनता एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।
  - उन्होंने महसूस किया कि एक हाशिए पर रहने वाला किसान अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता क्योंकि आर्थिक व्यवस्था इस तरह से बनाई गई थी कि उसका अस्तित्व हमेशा दांव पर रहे।
- **राज्य की जिम्मेदारी (हंटर आयोग, 1882):** शिक्षा आयोग को दिए गए अपने प्रस्तुतीकरण में, उन्होंने राज्य की सक्रिय भूमिका की मांग की:
  - 12 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।
  - उन समुदायों के लिए लक्षित छात्रवृत्तियाँ जहाँ शिक्षा ने ऐतिहासिक रूप से कोई प्रगति नहीं की थी।
  - उदार सरकारी उपायों के माध्यम से महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करना।

फुले का दृष्टिकोण बी.आर. अबेडकर के कार्य का प्रत्यक्ष पूर्वगामी था, जो फुले को अपने तीन "गुरुओं" में से एक मानते थे। आधुनिक संवैधानिक गारंटी, जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), मौलिक अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action), फुले के 19वीं सदी के दृष्टिकोण की ठोस कानूनी अभिव्यक्तियाँ हैं।

### अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा

#### संदर्भ

जापान की शिमिजु कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियाँ अब अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को वास्तविकता बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजनाओं का प्रस्ताव दे रही हैं।

#### मूल अवधारणाएँ: कक्षा बनाम चंद्र सतह

इसका मूल लक्ष्य पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे अधिक मात्रा में होती है, उसे एकत्रित करना और उसे उपभोग के लिए वापस भेजना है।

- **"लूनर रिंग" प्रस्ताव:** शिमिजु कॉर्पोरेशन चंद्रमा के भूमध्य रेखा के साथ सौर पैनलों की 11,000 किलोमीटर लंबी बेल्ट का सुझाव देती है। रोबोट चंद्र मृदा (रेगोलिथ) का उपयोग करके इस संरचना का निर्माण करेंगे, और ऊर्जा को माइक्रोवेव के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाएगा।
- **अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा (SBSP):** एक अधिक पारंपरिक अवधारणा जिसमें भू-स्थैतिक कक्षा (GEO) में उपग्रहों की विशाल श्रृंखलाएं शामिल हैं। पृथ्वी आधारित पैनलों के विपरीत, ये मौसम, ऋतुओं या दिन-रात के चक्र से अप्रभावित रहकर 24/7 सूर्य का प्रकाश एकत्र करेंगे।



- **आपदा घोषणा:** यह ढांचा कठोर निगरानी और रिपोर्टिंग का आदेश देता है, जिसमें गंभीर तटीय संदूषण के मामलों में 'राज्य आपदा' घोषित करने का विशिष्ट प्रावधान है।

#### टार बॉल्स

- **निर्माण:** ये चिपचिपे, गहरे रंग के लंप (ढेले) होते हैं जो समुद्री रिसाव, फैलाव या दुर्घटनाओं के बाद तेल के अपक्षय (weathering) के कारण बनते हैं
  - ये भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं (जैसे वाष्पीकरण और पायसीकरण) के संयोजन के माध्यम से बनते हैं जब तेल समुद्री जल, रेत और अन्य समुद्री दूषकों के साथ परस्पर क्रिया करता है।
- **खतरनाक प्रकृति:** क्योंकि ये भारी, जटिल हाइड्रोकार्बन (जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन या PAHs) से बने होते हैं, वे मूल रिसाव स्थल से सैकड़ों मील दूर तक जा सकते हैं और महीनों तक समुद्र में बने रह सकते हैं।
  - नए नियमों के तहत, टार-बॉल्स को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसेजन सपोर्ट सिस्टम(MHEW-DSS)


#### संदर्भ

भारत ने मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसेजन सपोर्ट सिस्टम (MHEW-DSS) के शुभारंभ के साथ आपदा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है।

#### मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसेजन सपोर्ट सिस्टम(MHEW-DSS) के बारे में

- MHEW-DSS एक उन्नत डिजिटल पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है जिसे IMD द्वारा ओपन-सोर्स तकनीक और आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- 2024 में 'मिशन मौसम' के तहत पेश किया गया।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** पूरे भारत में सटीक, वास्तविक समय और प्रभाव-आधारित बहु-खतरा पूर्वानुमान देने में सक्षम एक एकीकृत और स्वदेशी पूर्वानुमान प्रणाली का निर्माण करना।
- **मुख्य विशेषताएं**
  - **स्वचालित मौसम डेटा प्रोसेसिंग:** मौसम डेटा संग्रह, गुणवत्ता जांच और एकीकरण का 90% से अधिक हिस्सा स्वचालित है, जिससे मौसम प्रणालियों और उनके संभावित प्रभावों का तेजी से पता लगाना संभव हो गया है।
  - **पूर्वानुमान मॉडल का बेहतर उपयोग:** पूर्वानुमान में अब संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी मॉडल इनपुट का 95% से अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न मौसम खतरों के लिए जोखिम मूल्यांकन में सुधार होता है।
  - **पुनः इंजीनियर पूर्वानुमान प्रणाली:** संपूर्ण पूर्वानुमान और चेतावनी सृजन प्रक्रिया को पुनः इंजीनियर किया गया है, जिससे वास्तविक समय की अलर्ट और त्वरित निर्णय लेने में सक्षमता आई है।
  - **लंबी पूर्वानुमान लीड अवधि:** पूर्वानुमान लीड अवधि 5 दिन से बढ़कर 7 दिन हो गई है, जिससे अधिकारियों और समुदायों को अग्रिम रूप से तैयारी करने का समय मिलता है।
  - **त्वरित पूर्वानुमान तैयारी:** पूर्वानुमान तैयार करने में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर लगभग 3 घंटे रह गया है, जिससे चेतावनियों का तेजी से प्रसार सुनिश्चित होता है।
  - **लागत बचत और आत्मनिर्भरता:** इस प्रणाली ने लगभग ₹250 करोड़ की लागत बचत की है और विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता को समाप्त कर दिया है, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है।
  - **प्रभावी चक्रवात पूर्वानुमान:** चक्रवात बिपरजॉय और चक्रवात दाना के दौरान सटीक पूर्वानुमानों ने समय पर निकासी को सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात और ओडिशा में शून्य जनहानि हुई।
  - **निकासी लागत में कमी:** IMD द्वारा जारी 3-5 दिन पहले के पूर्वानुमान में चक्रवात लैंडफॉल बिंदु पूर्वानुमान त्रुटि में कमी के कारण, बेहतर पूर्व चेतावनियों ने निकासी लागत को 1999 से 2024 तक एक-तिहाई तक कम करने में मदद की है।

IMPACT OF THE MHEW-DSS: PROTECTING LIVES & LIVELIHOODS THROUGH PREPAREDNESS



मिशन मौसम

- यह देश भर में मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है।
- मिशन का उद्देश्य चक्रवात, भारी वर्षा और लू (हीट वेक्स) जैसी चरम मौसम घटनाओं के लिए पूर्वानुमानों की सटीकता, रिजॉल्यूशन और लीड समय को बढ़ाना है।

मौसमग्राम

- यह MoES के तहत IMD द्वारा विकसित एक वेब-आधारित, हाइपर-लोकल मौसम पूर्वानुमान पोर्टल है।
- यह प्लेटफॉर्म भारत भर के 1.5 लाख से अधिक पिन कोड, 5,700 ब्लॉक और 6.2 लाख से अधिक गांवों को कवर करते हुए 10 दिनों तक के स्थान-विशिष्ट पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- IMD वेबसाइट, मौसम मोबाइल ऐप, SACHET प्लेटफॉर्म, ई-पंचायत सेवा और API के माध्यम से सुलभ, यह पोर्टल व्यापक सार्वजनिक और संस्थागत पहुंच सुनिश्चित करता है।

**भारत में प्राकृतिक प्रसव की प्रक्रिया में मिडवाइफ (दाइयों) की भूमिका: एक अनसुलझी कमी**

संदर्भ

भारत ने मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहाँ मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 130 प्रति लाख जीवित जन्म (2014-16) से घटकर 93 (2019-21) हो गया है। हालांकि, सिजेरियन प्रसव की संख्या में 2008-09 के 6.4% से बढ़कर 2024-25 में 27% से अधिक होने का एक विपरीत रुझान उभरा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए 10-15% के दायरे से काफी ऊपर है, जो प्रसव के अत्यधिक चिकित्साकरण (over-medicalisation) की ओर संकेत करता है।

सिजेरियन प्रसव में वृद्धि के कारक

- **निजी स्वास्थ्य सेवा में उच्च व्यापकता:** निजी अस्पतालों में सिजेरियन दर बढ़कर लगभग 47.4% हो गई है, जो सर्जिकल विधियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** तेलंगाना जैसे राज्यों में दर 60% से अधिक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असमान प्रथाओं को दर्शाती है।

- **आर्थिक प्रेरणा:** सर्जिकल प्रसव अधिक महंगे होते हैं, जिससे निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उत्पन्न होता है।
- **राजस्व निर्भरता:** निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों की आय का एक बड़ा हिस्सा (70-80%) प्रसव से आता है, जो परोक्ष रूप से सिजेरियन को बढ़ावा दे सकता है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** कुछ परिवार ज्योतिषीय रूप से अनुकूल तिथियों पर नियोजित प्रसव का विकल्प चुनते हैं, जिससे ऐच्छिक सर्जरी (elective surgeries) बढ़ जाती है।

#### अनावश्यक सिजेरियन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम

- **मातृ जटिलताएं:** संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव और सर्जरी के बाद के एडहेसन (post-surgical adhesions) की अधिक संभावना।
- **भविष्य के गर्भधारण में जोखिम:** बाद के गर्भधारण में जटिलताओं की बढ़ी हुई संभावना।
- **दीर्घकालिक स्थितियां:** स्कार एंडोमेट्रियोसिस (scar endometriosis) जैसी समस्याओं की संभावना।
- **बाल स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** बच्चों में श्वसन संबंधी समस्याएं, अस्थमा और मोटापे का उच्च जोखिम।
- **आंत के स्वास्थ्य (gut health) पर प्रभाव:** नवजात शिशु के माइक्रोबायोटा (microbiota) का बाधित होना, हालांकि स्तनपान इसे आंशिक रूप से बहाल कर सकता है।

#### पेशेवर मिडवाइफ (दाइयों) का महत्व

- **प्राकृतिक प्रसव को बढ़ावा देना:** मिडवाइफ प्रसव को एक चिकित्सीय स्थिति के बजाय एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में मानती हैं।
- **निरंतर देखभाल:** वे प्रसव के दौरान गहन निगरानी प्रदान करती हैं, जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप कम होते हैं।
- **जोखिमों की शीघ्र पहचान:** जटिलताओं की समय पर पहचान विशेषज्ञों के पास त्वरित रेफरल सुनिश्चित करती है।
- **सर्जिकल निर्भरता को कम करना:** उनकी उपस्थिति सुरक्षित सामान्य प्रसव को प्रोत्साहित करती है।
- **व्यापक पहुंच:** वे ग्रामीण और शहरी दोनों स्वास्थ्य देखभाल परिवेशों में मातृ देखभाल की पहुंच में सुधार करती हैं।

#### मिडवाइफरी सेवाओं के विस्तार में चुनौतियाँ

- **कार्यबल की कमी:** मांग और प्रशिक्षित मिडवाइफ की उपलब्धता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- **डॉक्टर-केंद्रित प्रणाली:** स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है, जो मिडवाइफ की भूमिकाओं को सीमित करती है।
- **निजी क्षेत्र का झुकाव:** वित्तीय प्रोत्साहन प्राकृतिक प्रसव के बजाय सर्जिकल प्रक्रियाओं के पक्ष में होते हैं।
- **सामाजिक दृष्टिकोण:** कई परिवार सिजेरियन प्रसव को सुरक्षित या अधिक सुविधाजनक मानते हैं।
- **कमजोर एकीकरण:** मिडवाइफ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।

#### आगे की राह

- देश भर में मिडवाइफरी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- मिडवाइफ को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सेवाओं में एकीकृत करना।
- प्राकृतिक प्रसव के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- निजी अस्पतालों में अनावश्यक सिजेरियन प्रक्रियाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को मजबूत करना।
- मिडवाइफ और प्रसूति विशेषज्ञों (obstetricians) को जोड़ने वाली मजबूत रेफरल प्रणाली स्थापित करना।

## मुख्य परीक्षा

### तमिलनाडु में एक दोषसिद्धि, एक जवाबदेही

#### संदर्भ

तमिलनाडु के सत्तनकुलम में हाल ही में हुई पुलिस हिरासत में मौतों ने पुलिस व्यवस्था और न्यायिक निगरानी में गहरी खामियों को उजागर किया है। अपेक्षाकृत मामूली अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए इन लोगों को हिरासत में भीषण बर्बरता का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना पुलिस के अधिकार के दुरुपयोग, कमजोर सुरक्षा उपायों और जवाबदेही तंत्र की खामी को रेखांकित करती है। साथ ही, अंततः मिली सजा यह दर्शाती है कि न्यायिक हस्तक्षेप, विश्वसनीय साक्ष्य और निरंतर जन दबाव संस्थागत दण्डमुक्ति को चुनौती देकर न्याय दिला सकते हैं।

#### मामले की पृष्ठभूमि

- **मामूली आधारों पर गिरफ्तारी:** एक व्यक्ति को लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई या लंबे समय तक हिरासत की आवश्यकता नहीं थी।
- **घटनाक्रम का तीव्र होना:** स्थिति तब गंभीर हो गई जब उनके बेटे ने पुलिस के आचरण पर सवाल उठाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें और अधिक समय तक हिरासत में रखा गया तथा बल का प्रयोग बढ़ गया।
- **गंभीर हिरासत दुर्व्यवहार:** दोनों व्यक्तियों को शारीरिक और यौन हिंसा सहित क्रूर 'थर्ड-डिग्री' तरीकों का शिकार बनाया गया, जिससे उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आईं।
- **अभिलेखों का फर्जीकरण:** पुलिस ने कथित तौर पर प्राथमिकी (FIR) और रिकॉर्ड में हेरफेर किया, जिसमें चोटों को स्वयं द्वारा पहुंचाई गई चोट बताया गया।
- **सुरक्षा उपायों की विफलता:** चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें रिमांड के लिए फिट घोषित कर दिया, और मजिस्ट्रेट ने बिना पर्याप्त जांच के नियमित रिमांड आदेश जारी कर दिए।
- **हिरासत में उपेक्षा:** दृश्यमान चोटों के बावजूद, उन्हें एक केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थानांतरित किया गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, जो निरंतर लापरवाही और बर्बरता को दर्शाता है।
- **सार्वजनिक प्रतिक्रिया:** इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों के परिवार ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

#### फैसले का महत्व

- **"दुर्लभतम से दुर्लभ" सिद्धांत का अनुप्रयोग:** अदालत ने हिरासत में यातना और हत्या की चरम प्रकृति को मान्यता देते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई।
- **सामूहिक जवाबदेही:** लगभग पूरे पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों की दोषसिद्धि संस्थागत विफलता की एक अभूतपूर्व स्वीकृति का प्रतीक है।
- **अधिकार के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया:** फैसले में कहा गया कि कानून लागू करने वालों ने खुद संवैधानिक कर्तव्यों और कानूनी मानदंडों का उल्लंघन किया है।
- **हिरासत में हिंसा के प्रति दृष्टिकोण बदलना:** यह फैसला कई अधिकारियों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने की दिशा में बदलाव का संकेत देता है।
- **सजा पर बहस:** मृत्युदंड लागू करना आनुपातिकता और सुधारात्मक न्याय के संबंध में चिंताएँ पैदा करता है।
- **निवारक प्रभाव:** यह पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजता है, जो दण्ड से मुक्ति की लंबे समय से चली आ रही संस्कृति को चुनौती देता है।

### हिरासत में हिंसा की प्रकृति और पैटर्न

- **अर्थ और दायरा:** हिरासत हिंसा में जबरदस्ती या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शारीरिक हमला, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और यौन शोषण शामिल हैं।
- **प्रयुक्त तरीके:** मारपीट और सुविधाओं से वंचित करने से लेकर अपमान और डराने-धमकाने तक की प्रथाएं शामिल हैं, जो गंभीर क्षति पहुंचाती हैं।
- **नियंत्रण के रूप में यौन हिंसा:** ऐसे कृत्यों का उपयोग अधिकार जताने के लिए किया जाता है, जो गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निशान छोड़ जाते हैं।
- **दंडमुक्ति की संस्कृति:** पुलिस अक्सर अनियंत्रित शक्ति की भावना के साथ काम करती है, जिससे हिंसा सामान्य हो जाती है।
- **संस्थागत मिलीभगत:** पुलिस, चिकित्सा और न्यायिक प्रणालियों की विफलताएं इस तरह के दुर्व्यवहारों को जारी रखने में सक्षम बनाती हैं।

### हिरासत में होने वाली मौतों से निपटने में चुनौतियां

- **दोषसिद्धि की कम दर:** जवाबदेही कमजोर बनी हुई है, और कई मामलों के बावजूद बहुत कम दोषसिद्धि होती है।
- **बढ़ती घटनाएं:** आंकड़े पूरे देश में पुलिस और न्यायिक हिरासत दोनों में मौतों की एक महत्वपूर्ण संख्या दर्शाते हैं।
- **संवेदनशील समूहों पर प्रभाव:** हाशिए पर रहने वाले समुदाय असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक पूर्वाग्रह को उजागर करता है।
- **कमजोर जांच और अभियोजन:** साक्ष्य संग्रह और अभियोजन की खराब स्थिति के कारण अक्सर आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं।
- **प्रणालीगत अंतराल:** कई एजेंसियों की संस्थागत विफलताएं प्रभावी न्याय वितरण में बाधा डालती हैं।

### हिरासत में हिंसा के खिलाफ मौजूदा सुरक्षा उपाय

#### संवैधानिक सुरक्षा

- अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 20(3) आत्म-दोषारोपण से बचाता है।
- अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान अधिकारों की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता तक पहुंच को बढ़ावा देता है।

#### कानूनी और संस्थागत उपाय

- भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडात्मक प्रावधान दोषपूर्ण परिरोध (wrongful confinement) और हिरासत दुर्व्यवहार को संबोधित करते हैं।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) हिरासत में होने वाली मौतों की न्यायिक जांच का आदेश देती है।
- NHRC और SHRC जैसे निकाय मानवाधिकार ढांचे के तहत कार्य करते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधान भी सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कदाचार को दंडित करते हैं।

#### न्यायिक दिशानिर्देश

- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** गिरफ्तारी मेमो और चिकित्सा जांच जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित किए।
- **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):** इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी उचित होनी चाहिए न कि नियमित।
- **नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993):** राज्य के दायित्व और मुआवजे को मान्यता दी।
- **परमवीर सिंह (2020):** पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

#### आगे की राह

- **एक समर्पित यातना-विरोधी कानून बनाना:** एक व्यापक कानून के माध्यम से हिरासत में यातना को अपराध घोषित किया जाना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप हो और सख्त सजा तथा पीड़ित मुआवजे को सुनिश्चित करे।

- **न्यायिक निरीक्षण बढ़ाना:** स्वतंत्र न्यायिक जांच और दिशानिर्देशों का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **स्वतंत्र निगरानी निकायों का गठन:** जांच और अभियोजन शक्तियों वाले निरीक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **पुलिस सुधार लागू करना:** पेशेवरता सुनिश्चित करने और सत्ता के दुरुपयोग को कम करने के लिए पुलिस सुधार मामलों की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
- **निगरानी तंत्र को मजबूत करना:** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कवरेज, पूछताछ की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और नियमित ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

**भारत को अपनी रणनीतिक सोच में समुद्री क्षेत्र को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।**

**संदर्भ**

अरब खाड़ी के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव समुद्री प्राथमिकताओं की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो बॉम्बे स्कूल के दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करता है और साथ ही इसे महाद्वीपीय सुरक्षा संबंधी स्थायी चिंताओं के साथ एकीकृत करता है।

**भारत के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में महाद्वीपीय बनाम समुद्री सोच**

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा गया है, जो ब्रिटिश राज के "ग्रेट गेम" (Great Game) से उत्पन्न हुए थे।

विशेषता	बॉम्बे स्कूल (समुद्री)	लुधियाना स्कूल (महाद्वीपीय)
प्रमुख प्रतिपादक	माउंटस्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जॉन मैल्कम, और बाद में अल्फ्रेड थायर महान से प्रभावित।	लॉरेंस ब्रदर्स (हेनरी और जॉन), क्लाउड वेड, और हैल्फोर्ड मैकिंडर से प्रभावित।
रणनीतिक तर्क	"तटीय" तर्क: सुरक्षा "बाहरी घेरे" (तटों और बंदरगाहों) को नियंत्रित करने और समुद्र पर कमान बनाए रखने से प्राप्त होती है।	"सीमावर्ती" तर्क: सुरक्षा "आंतरिक घेरे" (पहाड़ी दर्रों और बफर क्षेत्रों) को नियंत्रित करने और अग्रिम उपस्थिति बनाए रखने से प्राप्त होती है।
प्राथमिक भूगोल	अरब सागर, फारस की खाड़ी और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific)।	अफगानिस्तान, मध्य एशिया और हिमालयी सीमाएं (LAC/LoC)।
मुख्य दर्शन	व्यापारिक यथार्थवाद: धन और व्यापार राष्ट्रीय शक्ति के प्राथमिक इंजन हैं।	क्षेत्रीय यथार्थवाद: भूमि और भौतिक संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक इंजन हैं।
सीमा के प्रति दृष्टिकोण	समुद्र एक सेतु है; यह पैंतरेबाजी और वैश्विक संपर्क के लिए एक खुला स्थान है।	पहाड़ एक दीवार हैं; वे घर्षण के स्थल हैं जहाँ आक्रमण से बचाव किया जाना चाहिए।
प्राथमिक साधन	'ब्लू-वॉटर' नेवी, मर्चेन्ट शिपिंग, समुद्री केंद्र (बंदरगाह) और प्रवासी (Diaspora)।	विशाल स्थायी सेना, किलेबंदी, सीमावर्ती बुनियादी ढांचा और "रणनीतिक गहराई"।

आर्थिक अभिविन्यास	भू-आर्थिक: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और "नीली अर्थव्यवस्था" पर केंद्रित।	भू-रणनीतिक: आत्मनिर्भरता और भूमि-आधारित संसाधन गलियारों को सुरक्षित करने पर केंद्रित।
आधुनिक अभिव्यक्ति	IMEC, सागर (SAGAR) सिद्धांत, और "नेकलेस ऑफ डायमंड्स" रणनीति।	"वाइब्रेंट विलेज" कार्यक्रम, BRO बुनियादी ढांचा, और उच्च-ऊंचाई वाले पर्वतीय डिवीजन।

### भारत की रणनीतिक सोच में महाद्वीपीय क्षेत्र के प्रभुत्व के कारण

#### I. ऐतिहासिक-मनोवैज्ञानिक कारक

- विभाजन (1947) की विरासत ने तत्काल महाद्वीपीय मजबूरियां पैदा कीं, क्योंकि भारत को विवादित और शत्रुतापूर्ण भूमि सीमाएं विरासत में मिलीं, जिसके लिए निरंतर सैन्य तैनाती की आवश्यकता थी।
- कश्मीर संघर्ष ने उच्च-ऊंचाई वाले युद्ध की एक स्थायी स्थिति पैदा कर दी, जिसने रणनीतिक ध्यान और संसाधनों को उत्तरी सीमाओं पर केंद्रित कर दिया।
- उत्तर-पश्चिम दरों के माध्यम से हुए ऐतिहासिक आक्रमणों से आकार लेने वाली गहरी महाद्वीपीय खतरे की धारणा ने भूमि-आधारित सुरक्षा की प्रधानता को पुख्ता किया।
- भारत-चीन युद्ध के बाद "हिमालयी ढाल" के मिथक के टूटने ने भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को मोड़ने के लिए मजबूर किया।

#### II. संस्थागत और संरचनात्मक कारक

- औपनिवेशिक "लुधियाना स्कूल" की नौकरशाही ने एक भूमि-केंद्रित रणनीतिक संस्कृति को संस्थागत रूप दिया जो सीमा प्रबंधन और महाद्वीपीय रक्षा पर केंद्रित थी।
- सैन्य संरचना और बजट में थल सेना के प्रभुत्व ने महाद्वीपीय प्राथमिकताओं को मजबूत किया, क्योंकि रणनीतिक सोच संसाधन आवंटन के अनुसार चलती रही।
- 1911 में राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण एक भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह पैदा कर गया, जिससे नीतिगत ध्यान समुद्री सीमाओं के बजाय उत्तरी मैदानों पर केंद्रित हो गया।

#### III. आर्थिक-नीति अभिविन्यास

- स्वतंत्रता के बाद के समाजवादी अंतर्मुखी दृष्टिकोण ने वैश्विक व्यापार को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे समुद्री क्षेत्रों की रणनीतिक प्रासंगिकता कम हो गई।
- 'लाइसेंस राज' के दौरान बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे की उपेक्षा ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को सीमित कर दिया।
- आंतरिक कनेक्टिविटी (रेलवे और राजमार्ग) के प्रति झुकाव ने भूमि-केंद्रित विकास मॉडल को और मजबूत किया।

#### IV. भू-रणनीतिक बाधाएँ

- पाकिस्तान और चीन से निरंतर दो-तरफा खतरे की धारणा ने क्षेत्रीय रक्षा के लिए "जमीन पर सैनिकों" (boots on the ground) के दृष्टिकोण को आवश्यक बना दिया।
- नियंत्रण रेखा (LoC) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) जैसी सक्रिय सीमाओं पर निरंतर सैन्य सतर्कता की आवश्यकता होती है, जो महाद्वीपीय प्राथमिकता को सुदृढ़ करती है।
- अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई की तलाश भारतीय मुख्य भूमि के बाहरी अस्थिरता के बारे में स्थायी महाद्वीपीय चिंताओं को दर्शाती है।

### महाद्वीपीय क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान देने के प्रतिकूल प्रभाव

#### I. रणनीतिक और भू-राजनीतिक लागत

- "दक्षिण एशियाई घेरो" जाल भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ देता है, जिससे इसकी वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण (power projection) बाधित होती है।
- तटीय उपेक्षा के परिणामस्वरूप रणनीतिक घेराबंदी होती है, जिससे बाहरी शक्तियों को हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलता है।
- "किले की मानसिकता" (fortress mindset) में निहित एक प्रतिक्रियाशील रक्षात्मक मुद्रा, सक्रिय रणनीतिक आकार देने के बजाय स्थिर रक्षा को प्राथमिकता देती है।
- "महाद्वीपीय द्वीप" की वास्तविकता एक भूमि नाकाबंदी पैदा करती है, जिससे भारत वैश्विक पहुंच के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर हो जाता है।

## II. सैन्य-रणनीतिक विकृतियाँ

- "महाद्वीपीय कर" के कारण संसाधनों का थल सेना-केंद्रित आवंटन होता है, जिसके परिणामस्वरूप नौसैनिक क्षमताओं के लिए धन की कमी हो जाती है।
- क्षमता असंतुलन बना रहता है क्योंकि एक कमजोर 'ब्लू-वॉटर' नेवी भारत की अपने तत्काल क्षेत्र से परे शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता को सीमित करती है।

## III. भू-आर्थिक और व्यापार परिणाम

- व्यापार-आधारित विकास की उपेक्षा से भू-आर्थिक ठहराव उत्पन्न होता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी विदेशी केंद्रों (हब) पर निर्भरता को मजबूर करती है, जिससे राजस्व की हानि और रणनीतिक रिसाव दोनों होते हैं।

## IV. संरचनात्मक रणनीतिक परिणाम

- महाद्वीपीय प्रभाव की निरंतरता एक रक्षा-प्रधान, अंतर्मुखी मुद्रा को बनाए रखती है जो समुद्री विस्तार को बाधित करती है।

### भारत को अपनी रणनीतिक सोच में समुद्री क्षेत्र को प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों है?

- आर्थिक अस्तित्व और भू-आर्थिक एकीकरण के लिए भारत को "व्यापार को भव्य रणनीति" (trade as grand strategy) के रूप में अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्रा के हिसाब से 90% से अधिक व्यापार और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवाह प्रमुख चोकपॉइंट्स (chokepoints) से होकर गुजरता है।
- "लुधियाना स्कूल" भूमि नाकाबंदी पर विजय पाने के लिए भारत के प्रायद्वीपीय लाभ का लाभ उठाना आवश्यक है, क्योंकि IMEC जैसे समुद्री गलियारे इसे शत्रुतापूर्ण भूमि मार्गों को बायपास करने और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाते हैं।
- रणनीतिक घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए एक 'महनीय' (Mahanian) समुद्री दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि भारत की केंद्रीय स्थिति इसे संचार की आंतरिक लाइनों को बनाए रखने और बाहरी नौसैनिक शक्तियों से बेहतर पैतरेबाजी करने की अनुमति देती है।
- वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण "बॉम्बे स्कूल" को अपनाने से ही संभव है, क्योंकि एक 'ब्लू-वॉटर' नेवी भारत को 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में कार्य करने और 'ग्लोबल कॉमन्स' को आकार देने की अनुमति देती है।
- उपमहाद्वीपीय बाधाओं से रणनीतिक अलगाव (Decoupling) के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ समुद्री विस्तार महाद्वीपीय निवारण का पूरक बने और भारत को हिंद-प्रशांत साझेदारी के साथ संरेखित करे।
- समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा अनिवार्य है, क्योंकि समुद्र के नीचे के फाइबर-ऑप्टिक केबल वैश्विक वित्त और डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ हैं।
- उन्नत समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपग्रह और AI-सक्षम निगरानी समुद्रों को एक पारदर्शी और नियंत्रणीय रणनीतिक स्थान में बदल देती है।

### समुद्री प्राथमिकता की वर्तमान आवश्यकता

#### 1. चोकपॉइंट्स का शस्त्रीकरण

- **होर्मुज भेद्यता:** फरवरी-मार्च 2026 के संकट ने साबित कर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य प्रतिबंधित होने पर भूमि-केंद्रित रक्षा भारत को समुद्री "दिल के दौर" से नहीं बचा सकती है।
- **सक्रिय सुरक्षा:** भारत के कच्चे तेल का आधा हिस्सा एक ही धमनी से गुजरता है, नौसेना को राष्ट्रीय ऊर्जा अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटों से दूर इन "बाहरी द्वारों" को सुरक्षित करना चाहिए।

## 2. महाद्वीपीय अतिरेक की विफलता

- **INSTC पक्षाघात:** ईरानी बुनियादी ढांचे पर काइनेटिक हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को बेअसर कर दिया है, जिससे उच्च तीव्रता वाले युद्धों के दौरान भूमि-आधारित कनेक्टिविटी की नाजुकता उजागर हो गई है।
- **IMEC धुरी:** अरब खाड़ी में स्थिरता (UAE/सऊदी अरब) समुद्री नेतृत्व वाले IMEC को संघर्ष क्षेत्रों के माध्यम से अस्थिर महाद्वीपीय मार्गों के लिए अधिक लचीला विकल्प बनाती है।

## 3. रणनीतिक "डी-हाइफ़्रेशन"

- **विशेष रणनीतिक साझेदारी:** अप्रैल 2026 तक, खाड़ी के साथ संबंध एक क्रेता-विक्रेता मॉडल से गहरे सुरक्षा सहयोग में विकसित हुए हैं, जो भारत को क्षेत्रीय वैचारिक संघर्ष से अलग कर रहे हैं।
- **वाणिज्यिक यथार्थवाद:** अरब खाड़ी के राजनीतिक संयम का समर्थन करना भारत को उन भागीदारों के साथ जोड़ता है जो क्रांतिकारी या छद्म युद्ध पर वैश्विक वाणिज्य और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।

## समुद्री प्रधानता को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव

बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए, भारत को पारंपरिक तटीय रक्षा से आगे बढ़ना चाहिए और एक "प्रायद्वीपीय धुरी" (Peninsular Pivot) के रूप में अपनी भूमिका को अपनाना चाहिए। इसके लिए समुद्र को एक बाधा के बजाय शक्ति और समृद्धि के माध्यम के रूप में देखने की आवश्यकता है।

### I. नौसेना आधुनिकीकरण: नीले पानी की शक्ति का प्रक्षेपण

- **कैरियर बैटल ग्रुप्स:** वैश्विक आकस्मिकताओं के लिए एक तिहाई बनाए रखते हुए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन-वाहक बेड़े का निर्माण।
- **साइलेंट डिटरेंस:** गहरे समुद्र में चोकपॉइंट की निगरानी और प्रतिद्वंद्वी नौसैनिक घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियों (एसएसएन) के निर्माण को प्राथमिकता देना।
- **मानव रहित तकनीक:** महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की लगातार, कम लागत वाली निगरानी के लिए एआई-संचालित सतह जहाजों और पानी के नीचे ड्रोन तैनात करना।

### II. भू-आर्थिक एकीकरण: शक्ति के रूप में बंदरगाह

- **ट्रांसशिपमेंट हब:** कोलंबो या सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने के लिए विज़िंजम और गैलाथिया बे जैसे घरेलू केंद्रों का विकास करना।
- **नेकलेस ऑफ डायमंड्स:** चाबहार (ईरान), दुकम (ओमान), और सबांग (इंडोनेशिया) जैसे रणनीतिक विदेशी बंदरगाहों तक पहुंच का विस्तार करना।
- **IMEC कार्यान्वयन:** शत्रुतापूर्ण भूमि मार्गों को बायपास करने और भूमध्यसागरीय बाजारों के साथ एकीकृत करने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को तेजी से ट्रैक करना।

### III. राजनयिक वास्तुकला: हिंद-प्रशांत का नेतृत्व करना

- **मिशन-आधारित तैनाती:** "नौवहन की स्वतंत्रता" (Freedom of Navigation) बनाए रखने के लिए अदन की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में स्थायी नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखना।
- **लॉजिस्टिक्स पहुंच:** ईंधन भरने के लिए वैश्विक नौसैनिक अड्डों का उपयोग करने हेतु LEMOA जैसे समझौतों का लाभ उठाना, जिससे विदेशी उपनिवेशों के बिना भारत की पहुंच का प्रभावी ढंग से विस्तार हो सके।
- **लघु-पक्षीय (Mini-lateral) भागीदारी:** क्वॉड (Quad) और I2U2 को मजबूत करना ताकि एक नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके जो हिंद महासागर में किसी एकल-शक्ति के प्रभुत्व को रोक सके।

#### IV. संस्थागत सुधार: महाद्वीपीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना

- **समुद्री थिएटर कमान (Maritime Theatre Command):** समुद्री खतरों के प्रति प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए नौसेना, वायु सेना और थल सेना की संपत्तियों को एक ही कमांडर के तहत एकीकृत करना।
- **बजटीय पुनर्संतुलन:** आधुनिक भू-आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी को लगभग 18% से बढ़ाकर कम से कम 25% करना।
- **समन्वित शासन:** नौसेना, तटरक्षक बल और वाणिज्यिक शिपिंग क्षेत्रों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक को सशक्त बनाना।

भारत को एक सीमा-केंद्रित महाद्वीपीय राज्य से एक समुद्री-केंद्रित नेटवर्क शक्ति के रूप में विकसित होना चाहिए, और उभरते हुए हिंद-प्रशांत क्रम को आकार देने के लिए अपनी हिंद महासागर की केंद्रीयता का लाभ उठाना चाहिए।

